न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या (02/2007) 37/2008

अनवान

1. श्रीमति शमीम अख्तर पत्नि स्व श्री इकबाल अहमद खॉ
2. इकरार अहमद खान पुत्र श्री इकबाल अहमद खॉ
3. वकार अहमद खान पुत्र श्री इकबाल अहमद खॉ
4. शाहनवाज अहमद खान पुत्र श्री इकबाल अहमद खॉ
5. जुल्फीकार अहमद खान पुत्र श्री इकबाल अहमद खॉ
6. इफ्तखार अहमद खान पुत्र श्री इकबाल अहमद खॉ
7. सुश्री फरहा दीबा पुत्री श्री इकबाल अहमद खॉ

समस्त जाति मुसलमान, निवासी 532, नगला बरी, बाई पास रोड, फिरोजाबाद (उ0प्र0) हाल निवासी कंचन नगर, दौराई तहसील व जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती कृष्णा देवी धर्म पत्नि श्री कमलेश चन्द्र जाति गुप्ता निवासी बी–2/23 ए यमुना विहार, दिल्ली।
2. श्रीमती दिप्ती धर्म पत्नि श्री नरेश जाति गुप्ता निवासी बी–2/23 ए यमुना विहार, दिल्ली।
3. राजस्थान सरकार जरिये सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर.।

..... रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री अजीतसिंह राठौड — अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री हेमराज राठौड — राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 04.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गगवाना तहसील अजमेर के साबिक खसरा नं0 772 हाल 1007 रकबा 02–3–00 एवं साबिक खसरा नम्बर 773 के हाल खसरा नं0 1008 रकबा 1–16–10 के अंतिम चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2024 लगायत 2027 के अनुसार रफीक मोहम्मद खां व जफर मोहम्मद खां पुत्रान श्री दाउ खां हिस्सा 1/3 हिस्से के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज थे। जिनके द्वारा उक्त आराजियात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अपीलान्ट्स के पूर्वज श्री इकबाल अहमद खां पुत्र श्री निसार अहमद खां को तथा इकबाल अहमद खां द्वारा उक्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.6.1982 बाबा ताजूदीन पुत्र बाबा नाथु जी को विक्रय कर दी। तत्पश्चात उक्त आराजियात पर पूर्व में श्री रफीक मोहम्मद व जफर मोहम्मद तत्पश्चात श्री इकबाल अहमद खॉ का कब्जा काश्त होने तथा श्री रफीक मोहम्मद वगैरह की भूमि खसरा नं0 1021 पर बाबा ताजूदीन का कब्जा होने से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षकारान के मध्य हुये आपसी समझौते के अनुसार परिशोधन संख्या 4 दिनांक 8.4.85 को तस्दीक किया जाकर हाल खसरा नम्बर 1007 रकबा 0–16–00 बीघा एवं 1008 रकबा 01–16–00 बीघा श्री श्री रफीक मोहम्मद व श्री जफर मोहम्मद को दी गई तथा उक्त भूमि के ऐवज में खसरा नम्बर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

1021 रकबा 5–12–0 बीघा बाबा ताजूदीन का प्रदान की गई, क्योंकि बरवक्त तस्दीक फरमाने परिशोधन संख्या 4 केता श्री इकबाल अहमद खां के नाम अमल दरामद नहीं हुआ था। उक्त आधार पर खसरा नं0 1007 व 1008 स्वंय बाबा ताजूदीन द्वारा रफीक मोहम्मद वगैरह की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात होना स्वीकार किया गया जो अंतिम चौसाला जमाबदी से भी सिद्ध है। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा परिशोधन संख्या 04 का अमल दरामद नहीं कर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.3. 1979 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 24.12.91 के कॉलम संख्या 7 में अपीलान्ट्स के पूर्वज श्री इकबाल अहमद खां को खातेदार दर्ज कर बाबा ताजूदीन के पक्ष में निष्पादित तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 14.6.1982 का अंकन नामांन्तरकरण संख्या 155 पर दर्ज कर दिया गया। इसी नामान्तरकरण से रूष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जो बाद में राज0 सरकार राजस्व(ग्रुप–1) विभाग की अधिसूचना प–13(5) राज0/1/2002 जयपुर दिनांक 26.05.2008 द्वारा अजमेर तहसील में भू–प्रबन्ध कियाएँ बन्द घोषित किये जाने से भू–प्रबन्ध अधिकारी अजमेर द्वारा पत्र कमांक 1293 दिनांक 31.5.2008 से पत्रावली स्थानान्तरित किये जाने से इस न्यायालय को प्राप्त हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर वकील रेस्पोडेन्ट् को नोटिस जारी किया गया उभय पक्ष के उपस्थित आने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स के उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 24.1.2018, दिनांक 31.1. 2018 से लगातार करीब 35 मौके उपस्थित होकर बहस करने हेतु न्यायहित में दिये गये। वरवक्त बहस आज रूक'–रूक कर आवाजे लगवाने के उपरान्त भी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1, 2/रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1, 2 उपस्थित नहीं आये। उपस्थित अभिभाषक अपीलान्ट्स. एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 03 राजकीय अभिभाषक को सुना गया।

सर्वप्रथम रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने अपीलार्थीगण की अपील मियाद बाहर होने से मियाद बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य बताई। जवाब में अपीलार्थीगण अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि दिनांक 13.12.2006 को अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि जिनसे अप्रार्थीगण अपरिचित है, मौके पर आये और भविष्य में काश्त करने से इन्कार किया तब प्रार्थीगण ने कहा कि उक्त जमीन अदालत ने हमारे विक्रेता को विनिमय में प्रदान की है। अपीलान्ट् द्वारा इसी दिन भू–प्रबन्ध कार्यालय में जाकर नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 19.12.2006 को उन्हें नकल प्राप्त हुई। तत्पश्चात अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि से प्रार्थीगण की कोई मुलाकात नहीं हुई। किन्तु अभिभाषक की कानूनी सलाह के मुताबिक आवश्यक रेकार्ड प्राप्ति हेतु विभिन्न कार्यालयों में नकल हेतु आवेदन कर नकले प्राप्त कर अभिभाषक से अपील तैयार कर जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई। लिहाजा जानकारी के अभाव में हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन कर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमाई जावे। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकार्ड देखा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार करते हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

अपील बहस दौरान अपीलार्थीगण के अभिभाषक ने अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम गगवाना तहसील अजमेर के साबिक खसरा नं0 772 हाल 1007 रकबा 02–3–00 एवं साबिक खसरा नम्बर 773 के हाल खसरा नं0 1008 रकबा 1–16–10 के अंतिम चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2024 लगायत 2027 के अनुसार रफीक मोहम्मद खां व जफर मोहम्मद खां पुत्रान श्री दाउ खां 1/3 हिस्से के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज थे। जिनके द्वारा उक्त आराजियात जरिये पंजीकृत

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

विक्रय पत्र अपीलान्ट्स के पूर्वज श्री इकबाल अहमद खां पुत्र श्री निसार अहमद खां को तथा इकबाल अहमद खां द्वारा उक्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.6.1982 द्वारा बाबा ताजूदीन पुत्र बाबा नाथु जी को विक्रय कर दी। उक्त आराजियात पर पूर्व में श्री रफीक मोहम्मद व जफर मोहम्मद तत्पश्चात श्री इकबाल अहमद खॉ का कब्जा काश्त होने तथा श्री रफीक मोहम्मद वगैरह की भूमि खसरा नं0 1021 पर बाबा ताजूदीन का कब्जा होने से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षकारान के मध्य हुये आपसी समझौते के अनुसार परिशोधन संख्या 4 दिनांक 8.4.85 को तस्दीक किया जाकर हाल खसरा नम्बर 1007 रकबा 0–16–00 बीघा एवं 1008 रकबा 01–16–00 बीघा श्री रफीक मोहम्मद व श्री जफर मोहम्मद को दी गई तथा उक्त भूमि के ऐवज में खसरा नम्बर 1021 रकबा 5–12–0 बीघा बाबा ताजूदीन का प्रदान की गई, क्योंकि बरवक्त तस्दीक फरमाने परिशोधन संख्या 4 केता श्री इकबाल अहमद खां के नाम अमल दरामद नहीं हुआ था। उक्त आधार पर खसरा नं0 1007 व 1008 स्वंय बाबा ताजूदीन द्वारा रफीक मोहम्मद वगैरह की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात होना स्वीकार किया गया जो अंतिम चौसाला जमाबदी से भी सिद्ध है। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा परिशोधन संख्या 04 का अमल दरामद नहीं कर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.3.1979 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 24.12.91 के कॉलम संख्या 7 में अपीलान्ट्स के पूर्वज श्री इकबाल अहमद खां को खातेदार दर्ज कर बाबा ताजूदीन के पक्ष में निष्पादित तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 14.6.1982 का अंकन नामांन्तरकरण संख्या 155 पर दर्ज कर दिया गया। आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व मजमे आम में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आक्षेपित नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है जो मूलतः न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 24.12.1991 निरस्त फरमाया जावें।

जवाब में उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रश्नगत आराजी के अंतिम चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2024 लगायत 2027 के 1/3 हिस्से के खातेदार रफीक मोहम्मद खां व जफर मोहम्मद खां पुत्रान श्री दाउ खां द्वारा उक्त आराजियात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अपीलान्ट्स के पूर्वज श्री इकबाल अहमद खां पुत्र श्री निसार अहमद खां को तथा इकबाल अहमद खां द्वारा उक्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.6.1982 द्वारा बाबा ताजूदीन पुत्र बाबा नाथु जी को विक्रय कर दी गई। जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 155 दर्ज किया गया। तत्पश्चात प्रश्नगत आराजी सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर के राजस्व मुकदमा नं0 02/2003 मे जारी डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा पारित आदेशानुसार सेक्टर कैम्प गेगल में जरिये नामान्तरकरण संख्या 224 दिनांक 14.5.2003 के द्वारा श्रीमती शाहिदा मोइनी पत्नी सैयद मोह. इकबाल चिश्ती निवासी मोइनी अपार्टमेन्ट निति मार्ग जयपुर रोड, अजमेर तथा श्रीमती साजिदा मोइनी पत्नि श्री अब्दुल रहीम निवासी खादिम मौहल्ला हाफिज मंजिल अजमेर के नाम दर्ज की गई तथा इनके द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 24.8.2004 के आधार पर सेक्टर शिविर केम्प गंगवाना में दिनांक 12.10.2004 को जरिये नामान्तरकरण संख्या 321, श्रीमती सोनू गर्ग पत्नि श्री पराग कुमार जी गर्ग निवासी सिविल लाईन अजमेर के नाम, व इनके विक्रय पत्र दिनांक 4/01/2005 के आधार पर बाद जांच प्रश्नगत आराजी का 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 02, श्रीमती दीप्ति गुप्ता धर्म पत्नि श्री नरेश गुप्ता निवासी यमुना विहार देहली के जरिये नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 27.1.2005 एवं नामान्तरकरण संख्या 350 से प्रश्नगत आराजी का 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

संख्या 01 श्रीमती कृष्णा देवी धर्मपत्नि श्री कमलेशचन्द्र गुप्ता निवासी यमुना विहार देहली के नाम अमल दरामद किया गया। उपरोक्त दर्ज समस्त राजस्व इन्द्राजो के परिपेक्ष्य में अपीलान्ट्स द्वारा परिशोधन दिनांक 8.4.85 के आधार पर प्रस्तुत अपील काबिले खारिज है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम गगवाना तहसील अजमेर की प्रश्नगत आराजियात हाल खसरा नम्बर 1007 रकबा 02–3–00 एवं खसरा नं0 1008 रकबा 1–16–10 के तत्कालीन खातेदारान द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अपीलान्ट्स के पूर्वज श्री इकबाल अहमद खां पुत्र श्री निसार अहमद खां को तथा इकबाल अहमद खां द्वारा उक्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.6.1982 बाबा ताजूदीन पुत्र बाबा नाथु जी को विक्रय की गई। उपरोक्त विक्रय पत्रों के आधार पर ही सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण दर्ज किया गया। चूंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 24.12.1991 के पश्चात न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु0) अजमेर द्वारा राजस्व मुकदमा संख्या 02/2003 में पारित डिक्री दिनांक 31.1.2003 के आधार पर तहसीलदार अजमेर द्वारा जारी पत्र दिनांक 8.4.2003 की पालना में नायब तहसीलदार द्वितीय अजमेर द्वारा दिनांक 14.5.2003 को सेक्टर केम्प गेगल में प्रश्नगत आराजी अन्य खसरान के साथ श्रीमति शाहिदा मोइनी एवं श्रीमती साजिदा मोइनी के नाम दर्ज की गई। तत्पश्चात दर्ज खातेदारान द्वारा आगे से आगे विक्रय किये जाने से केंताओं के हक में अंकन स्वीकार किये गये। पत्रावली पर मौजूद राजस्व रेकार्ड, वर्किंग जमाबन्दी मुताबिक प्रश्नगत आराजी के 1/2 –1/2 हिस्से के खातेदार रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 एवं 02 दर्ज है। आराजी मुतनाजा बाबत् उपरोक्त समस्त राजस्व अंकनों एवं तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलान्ट्स द्वारा तथाकथित परिशोधन दिनांक 8.4.85 में दर्ज सारहीन तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होती है। सारांशतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 4.12..2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner